



**प्रेस विज्ञप्ति**  
**09.04.2025**

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने 08.04.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सौरभ शर्मा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 08.04.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है। उक्त पीसी में, ईडी ने **108.25 करोड़ रुपये** की अपराध आय (पीओसी) को जब्त करने की भी प्रार्थना की है।

ईडी ने विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त भोपाल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(2) के साथ पठित 13(1)(बी) के तहत सौरभ शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके बाद, सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं (केंद्रीय जेल भोपाल में बंद हैं)।

ईडी ने 25/03/2025 को सौरभ शर्मा (तत्कालीन कांस्टेबल परिवहन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार) द्वारा अपने नाम पर या अपने रिश्तेदारों/सहयोगियों के नाम पर तथा उनके स्वामित्व वाली या उनके द्वारा नियंत्रित फर्मों/कंपनियों/फर्मों/सोसायटी आदि के नाम पर प्राप्त पीओसी से संबंधित **92.07 करोड़ रुपये** की चल और अचल संपत्तियां अनंतिम रूप से कुर्क की हैं। इसके अलावा, मामले में 16.18 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है।